मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

टिप्पणी एवं आदेश

आयुक्त/अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 10.6.94 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0

दिनांक: 20.6.94

- VC का हस्ताक्षर नहीं है।
- प्रस्ताव पृष्ठ 4 में है whitener लगाया
  बाद में क्रियान्वयन नहीं।

21/6

मसूरी देहरादून

उपस्थिति :

1-श्री एम0रा

2-श्री के0एल

3-श्री गिरधर

4-श्री ओम प्र

प्रतिनिधि सदस्य

1-श्री जितेन्द्र

2-श्री बी0बी0

3-श्री बृज बी0

अन्य उपस्थिति

1-श्री प्रमांशु

2-श्री पी0एस0

3-श्री रतन सिं

उपस्थित नहीं

1-विशेष सचि

2-विशेष सचि

3-संयुक्त सचि

4-निदेशक, प

5-मुख्य वन

6-सहायक नि

7-अधिशासी अ

463

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.06.94 में सदस्यों/अधिकारियों की

उपस्थिति :

1-श्री एम0रामचन्द्रन्, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2-श्री के0एल0शर्मा,उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
3-श्री गिरधर शर्मा	सदस्य
4-श्री ओम प्रकाश उनियाल	सदस्य

प्रतिनिधि सदस्य :

1-श्री जितेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्र0) देहरादून

2-श्री वी0वी0गुलाटी, अधिशासी अभियंता, प्रा0 ख0, लो0नि0वि0,देहरादून

3-श्री बृज बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,देहरादून

अन्य उपस्थिति :

1-श्री प्रमांशु, सचिव, म0दे0वि0प्रा0

2-श्री पी0एस0 जंगपांगी, संयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्रा0

3-श्री रतन सिंह, अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0

उपस्थित नहीं हो सके :

1-विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन,लखनऊ।

2-विशेष सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग,लखनऊ

3-संयुक्त सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ

4-निदेशक, पर्यावरण एवं पारस्थितिकी, उ0प्र0,लखनऊ।

5-मुख्य वन संरक्षक,गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून

6-सहायक निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड, देहरादून

7-अधिशासी अभियंता, आवास विकास परिषद, देहरादून

464

मद संख्या : 1

गत बैठक की कार्यवाही :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, म0दे0वि0प्रा0 ,देहरादून द्वारा गत बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी। अनुमोदनोपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए।

मद संख्या : 2

गत बैठक की कार्यवाही की अनुपालन आख्या :

गत बैठक की कार्यवाही की अनुपालन आख्या पर विचार-विमर्श हुआ। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि प्राधिकरण की बैठक प्रत्येक दशा में तीन माह के अन्तराल पर एक बार आयोजित की जानी चाहिये।

इण्टरनेशनल चिल्ड्रन अकादमी द्वारा बगराल गांव पर प्रस्तावित कक्षाओं एवं विद्यार्थियों के आवास के निर्माण के सम्बन्ध में गत बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में अकादमी के प्रधानाचार्य द्वारा प्राधिकरण को दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 30.4.94 जोकि दिनांक 8.6.94 को प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत हुआ, में उठाये गये बिन्दुओं पर भी विचार-विमर्श हुआ एवं सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संदर्भित पत्र में उल्लिखित ऐसे सभी प्रकरणों जिनमें परिवर्तन शुल्क नहीं लिया गया है, से सम्बन्धित पत्रावलियों का अध्ययन कर बस्तु-स्थिति सहित अकादमी द्वारा याचित परिवर्तन शुल्क में छूट सम्बन्धी प्रकरण को आगामी बैठक दिनांक 25.6.94 में प्रस्तुत किया जाय।

सदस्य श्री ओम प्रकाश उनियाल ने मसूरी में अल्प आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये प्राधिकरण द्वारा सस्ती दरों पर भवन बनाये जाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृषित कराया। उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा यह अवगत् कराया गया कि इस हेतु नगर परिषद मसूरी द्वारा सुमन नगर(मसूरी) में प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध करायी जानी है। नगर परिषद मसूरी द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने पर अल्य आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये प्राधिकरण द्वारा भवन निर्मित कर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि प्राधिकरण नगर परिषद मसूरी से प्रश्नगत भूमि प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करा लें। चूंकि जिलाधिकारी ही इस समय नगर परिषद का भी कार्य देख रहे हैं अतः अगले एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपेक्षित निर्णय ले लिया जाय।

बैठक में उपस्थित सदस्य श्री गिरधर शर्मा, एवं श्री ओ0पी0उनियाल द्वारा यह इंगित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एकल भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत करते समय प्राधिकरण द्वारा पूर्ण, भूखण्ड़ की माप पर विकास शुल्क लिया जाता है जोकि विसंगति पूर्ण, है। सदस्यों का कहना था कि ऐसे प्रकरणों में विकास शुल्क आच्छादित क्षेत्रफल पर ही लिया जाना चाहिये क्योंकि भवन के प्रयोजन हेतु क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूखण्ड़ का अवशेष क्षेत्रफल कृषि उपयोग में ही रहता है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत् कराया गया कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जोकि महायोजना में कृषि भूउपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं, में विकास शुल्क आच्छाछित क्षेत्रफल पर ही लिया जा रहा है परन्तु आवासीय भूउपयोग वाले क्षेत्रों में सम्पूर्ण, भूखण्ड़ पर ही विकास शुल्क देय होता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किए जाने वाले भवनों में भूकम्प अवरोधी तकनीक को अपनाए जाने के लिये निर्देशित किया गया। देहरादून एवं गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जनसाधारण में भवन निर्माण में भूकम्प अवरोधी तकनीक के अपनाए जाने की आवश्यकता को जागृत करने के लिये प्राधिकरण द्वारा एक कार्यशाला आगामी जुलाई माह में आयोजित किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया जिसमें भूगर्भ-शास्त्रियों,आर्कीटेक्टों, भूकम्प ज्ञाताओं एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाय। इस कार्यशाला में प्रस्तुत होने वाले सुझावों को प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय अपनाया जाय और जनसाधारण में प्रचारित व प्रसारित भी किया जाय। तद्नुसार अनुपालन आख्या की भी पुष्टि की गयी।

विषय क्रमांक : 1

वर्ष 1993-94 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 1994-95 का प्रस्तावित बजट :

वर्ष 1993-94 के पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 1994-95 के प्रस्तावित बजट का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

विषय क्रमांक : 2

देहरादून महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में :

इस विषय क्रमांक पर विचार-विमर्श, एवं निर्णय हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.6.94 में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया जिसमें महायोजना के पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं को तत्सम्बन्धी सामग्री सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विषय क्रमांक : 3

मसूरी महायोजना प्रारूप को अंतिम रूप दिये जाने पर विचार :

बैठक में यह बिन्दु विचार हेतु प्रस्तुत किया गया कि मसूरी महायोजना काल प्रस्तावित 2001 से 2021 तक कर दिया जाये क्योंकि महायोजना के अंतिम रूप से अनुमोदन होने के उपरान्त अवशेष योजना काल अत्यन्त न्यून अवधि का रह जायेगा। इस तथ्य के दृष्टिगत मसूरी महायोजना के योजना काल को अग्रेतर 20 वर्ष, तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया। विचार-विमर्श, के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा मत व्यक्त किया गया कि उपरोक्त योजना काल को 2021 तक बढ़ाया जाना व्यावहारिक न होगा और सर्व-सम्मति से यह तय किया गया कि योजना काल की अवधि 2011 तक बढ़ा दी जाये। तद्नुसार मसूरी महायोजना के प्रारूप को 6 माह के अन्दर नागरिक समिति मसूरी के सकारात्मक सुझावों को समावेशित करते हुए अंतिम रूप दिये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक :4

मसूरी झील का प्रबन्ध :

मसूरी झील के प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्राधिकरण के सम्मुख आ रही समस्याओं एवं विगत वर्षो, में निर्धारित ठेका राशि से कम वसूली एवं इससे उत्पन्न हो रही मुकद्मेबाजी के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श, के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के वित्तीय हितों एवं मसूरी झील परिसर के सौन्दर्यीकरण को सुनिश्चित करने एव उसे पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिये झील परिसर का ठेका एक वर्ष, के लिा न देकर इस सीजन के अतिरिक्त अधिकतम् पांच वर्षो, के लिये निर्धारित शर्तो, एवं उपबन्धों के अधीन दे दिया जाये।

विषय क्रमांक : 5

आहाते की दीवार के निर्माण के सम्बन्ध में :

बैठक में यह बिन्दु विचार हेतु प्रस्तुत किया गया कि शासनादेश संख्या-8081/9-आ-5-92-6 डी0ए0/81 दिनांक 13.11.92 द्वारा अनधिकृत रूप से निर्मित आहाते की दिवार के निर्माण को शमन करने हेतु निर्धारित की गयी दरें (100/- प्रति रनिग मीटर, न्यूनतम् 4000/-) व्यावहारिक नहीं हैं। उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अवगत् कराया गया कि सामान्यतः आहाते की दिवार का निर्माण लोगों द्वारा अपने भूखण्ड/भवन की सुरक्षा

हेतु किया जाता है परन्तु इस हेतु निर्धारित उपरोक्त दरों पर प्राधिकरण द्वारा लिये जा रहे शमन शुल्क से लोगों में असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है अतः इन दरों में शिथिलता प्रदान कर दी जाये।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जहां अनधिकृत रूप से आहाते की दिवार का निर्माण उप विभाजन की विधिक स्वीकृति के बिना किया गया हो, को 100/-(एक सौ रू0) प्रति रनिंग मीटर की दर से पूर्व की भांति शमन शुल्क लिया जाये परन्तु इस हेतु निर्धारित न्यूनतम शमन शुल्क की सीमा समाप्त करने के लिये प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाये।

विषय क्रमांक : 6

सांई मंदिर के भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में :

विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भवन मानचित्र सभी मानकों, विधिक अर्हताओं, प्राधिकरण के उप नियमों के अधीन नियमित होतो इसे नियमानुसार स्वीकृति दे दी जाये।

विषय क्रमांक : 7

रजनीगंधा इन्कलेव के भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी :

इस विषय क्रमांक के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि इस विषय को भी दिनांक 25.6.94 की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। यह भी निर्देश हुए कि इस तरह के अवशेष सभी प्रकरण भी उक्त बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किये जायें।

विषय क्रमांक : 8

मैं0 तायल कैमीकल्स एण्ड मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 के भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी :

इस विषय को भी पूर्ण सूचनाओं सहित दिनांक 25.6.94 को होने वाली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

विषय क्रमांक : 9

वाहन चालकों एवं सुरक्षा गार्डो के पदों के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव :

उपाध्यक्ष,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में अवगत् कराया गया कि प्राधिकरण में 9 वाहन विद्यमान हैं जिनके विपरीत वाहन चालकों के केवल 03 पद उपलब्ध

-6-

हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्राधिकरण के कार्यालय, स्टोर व उपाध्यक्ष आवास हेतु केवल दो सुरक्षा गार्डो के पद उपलब्ध हैं। अतः प्रत्येक वर्ग (Category) में तीन अतिरिक्त पद सृजन कर॰ का प्रस्ताव रखा गया।

विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से वाहन चालकों के तीन पदों के सृजन हेतु शासन को प्रकरण ॰ंदर्भित करने का निर्णय लिया गया परन्तु सुरक्षा गार्डो के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सुरक्षा गार्डो की व्यवस्था संविदा (Contract basis) के आधार पर की जाय तथा इस हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न संस्थाओं एवं भूतपूर्व सैनिक कल्याण ॰षद की जिला ईकाई से सम्पर्क कर सुरक्षा गार्डो की व्यवस्था की जाय।

॰य :

॰रण लिपिक श्रीमती सुषमा अरोड़ा व श्री विनोद शर्मा को आशुलिपिक का वेतनमान जाने हेतु :

इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 द्वारा बैठक में अवगत् कराया गया कि शासनादेशों के अन्तर्गत इस प्राधिकरण के लिये पांच पद आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ॰कृत हैं जिनमें से दो पदों के विपरीत कनिष्ठ लिपिक के वेतनमान में उक्त दोनों ॰ी कार्यरत हैं। इन दोनों कर्मचारियों से आशुलिपिक का कार्य लिया जा रहा है अतः दोनों लिपिकों को आशुलिपिक का वेतनमान दे दिया जाये। उपाध्यक्ष ने बताया कि चूँकि ॰पिक का पद केन्द्रीयत सेवा का पंद होने के कारण इस पर नियुक्ति का अधिकार शासन ॰हित है अतः इन दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति आशुलिपिक के पद पर करने हेतु शासन ॰स्ताव भेज दिया जाये।

विचारोपरान्त यह निर्देश हुए कि चूँकि आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति शासन की जाती है अतः इन दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु भी शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर जाये।

प्राधिकरण क्षेत्रान्र्तगत ग्रामीण क्षेत्र में प्रसूति गृह एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र बनाए जाने सम्बन्धी :

उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 द्वारा बैठक में अवगत् कराया गया कि आचार्य तुलसी ॰तना फाउण्डेशन,122,नेशबिला रोड़, देहरादून द्वारा प्राधिकरण को एक इस आशय का प्रस्ताव ॰षित किया गया है कि उक्त संस्था विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्र्तगत मसूरी एवं देहरादून में निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में देहरादून एवं मसूरी में पांच-पांच प्रसूति गृह एवं प्राथमिक उपचार केन्द्रों का निर्माण कराने हेतु इच्छुक हैं।

उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण उक्त कार्य हेतु संस्था के प्रतिनिधियों के साथ पहले मसूरी एवं देहरादून नगर के पांच-पांच गांव जो प्राधिकरण की सीमा में आते हों, का चयन कर भूमि राजस्व विभाग से निःशुल्क उक्त संस्था को उपलब्ध कराएं ताकि संस्था द्वारा प्रसूति गृह एवं ॰थमिक उपचार केन्द्र बनाए जा सकें। यह भी निर्णय हुआ कि भूमि उपलब्ध कराने की ॰वाही माह जुलाई,1994 के अन्त तक पूर्ण करा दी जाये।

475

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद
ठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून ।	आयुक्त/अध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल, म0दे0वि0प्रा0